>

Title: Need to issue Visa for longer period to the Pakistani citizens visiting India for marriage ceremonies.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): भारत-पाक सीमा पर स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के निवासियों के रिश्तेदार दोनों देशों के विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए थे। ये लोग भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं। यहां वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं लेकिन इन कार्यों हेतु इन्हें भारत में रहने के प्रावधानों में सहूलियत नहीं है।

भारत-पाक वीजा समझौता 1974 के प्रावधानों में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जून, 2009 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत भारत में पाकिस्तान के थार पारकर जिले (पाकिस्तान) से आने वाले सोढ़ा राजपूत जाति के पाक नागरिकों को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में शादी के प्रयोजनार्थ छः माह हेतु वीजा अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया।

मेरा अनुरोध है कि भारत-पाकिस्तान के नागरिकों में विवाह संबंध सभी जातियों में हो रहे है, ऐसे में सोढ़ा राजपूतों की भांति सभी जाति के नागरिकों के लिए विवाह प्रयोजन से वीजा अवधि बढ़ाने का प्रावधान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।